

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 53 जयपुर/2000 - 2001

यह प्रमाणित किया जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
रूरल अफेयर्स समिति, जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 16 माह मई सन 2000 को जयपुर में किया गया।



अशोक कुमार
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर